न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—151/2019/223 (2019/00151)

1. किशनलाल बागवाल पुत्र मोतीलाल, जाति माली, निवासी बड़ा बगरू, तोपदड़ा, अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. गोपाल पुत्र मांगीलाल, जाति माली, निवासी बडा बगरू, तोपदड़ा, अजमेर.
2. राधेश्याम पुत्र मांगीलाल, जाति माली, निवासी बडा बगरू, तोपदड़ा, जिला अजमेर ।
3. भवानी पुत्र मांगीलाल, जाति माली, निवासी बडा बगरू, तोपदड़ा, जिला अजमेर ।
4. श्रीमती विमला पत्नि स्व0 परमानन्द, जाति माली, निवासी ढीला का बेरा, धोलाभाटा, जिला अजमेर ।
5. श्रीमती शांति देवी पत्नी स्व0 बाबूलाल, जाति माली, निवासी भोपों का बाड़ा, पुलिस लाईन, अजमेर ।
6. श्रीमती प्रेम देवी पत्नी फूलचंद, जाति माली, निवासी भोपों का बाड़ा, पुलिस लाईन, अजमेर ।
7. तहसीलदार, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर दिनांक 25.2.2019 अंतर्गत वाद संख्या 52/2018.

उपस्थितः—

1. श्री कुलवन्त सिंह चौहान, वकील अपीलांट।
2. श्री मदनपुरी गोस्वामी, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 7.

निर्णय

दिनांकः— 23.7.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 25.2. 2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत मय अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के पेश किया जिसमें बाद तामील प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की उपस्थिति पर प्रारंभिक आपत्तियां पेश की गई जो कि दिनांक 25.2.2019 को जरिये अपीलधीन आदेश के वाद पत्र को मनमाने ढंग से विधि के विपरीत विवेचन किया जाकर खारिज कर दिया। अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश में विद्वान अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि वाद अधीन खसरा नंबर पर प्रतिवादी संख्या/प्रार्थी संख्या 1 का कोई हक, अधिकार, स्वामित्व व मालिकाना हक निहित नहीं है क्योंकि खसरा नंबर 4087 स्व0 मोतीलाल के हिस्से में जरिये बंटवारा दिनांक 8.6.1962 को आने के उपरांत से मांगीलाल व उसके वारिसान का उक्त आराजी पर किसी प्रकार का कोई हक, स्वामित्व नहीं रहा है । अधी0न्याया0 ने दिनांक 13.7.1996 के बंटवारे का आधार लेकर उक्त आराजी खसरा संख्या 4087 में वादी का हक, हिस्सा व कब्जा स्वामित्व न मानकर वादपत्र को खारिज किया है जबकि दिनांक 13.7.1996 का कोई बंटवारा दस्तावेज ही पत्रावली पर नहीं है । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने वाद को खारिज करने में त्रुटि कारित की है । बहस में आगे यह भी कथन किया कि विधिवत् बंटवारा रिकार्ड पर नहीं होने के कारण अविभाजित आराजिया तमे पक्षकार का जमीन के प्रत्येक इंच पर बराबर बराबर हक व अधिकार निहित होता है तथा जब तक विधिवत् बंटवारा नहीं हो जाता है तब तक हितबद्ध पक्षकार को उसके हक, स्वामित्व से वंचित नहीं किया जा सकता है । अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर0बी0जे0 2012 पेज 548 उक्त प्रकरण पर कतई चस्पा नहीं होती है क्योंकि उक्त न्यायिक दृष्टांत इस बात को स्पष्ट करता है कि स्थाई निषेधाज्ञा कब्जाधारक के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती है परन्तु कब्जा विधिक होना आवश्यक है । मौजूदा प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 गोपाल का कोई विधिक कब्जा खसरा नंबर 4087 पर नहीं है । अधी0न्याया0 ने उक्त तथ्य को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है । खसरा नंबर 4087 का बंटवारा होना मानकर तथा उक्त आराजी में वादी का हक न हीं मानने में अधी0न्याया0 ने त्रुटि कारित की है जबकि पत्रावली पर बंटवारा के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं थी । अधी0न्याया0 ने प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक आपत्तियों को स्वीकार कर वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । यह भी कथन किया कि स्व0 मोतीलाल के हिस्से में आयी आराजियात का बंटवारा किस अनुपात में कौन कौन से खसरे में किस–किस वारिसान के हिस्से में कितनी कितनी भूमि आयी, इसका कोई भी उल्लेख रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने के बावजूद अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 25.2.2019 निरस्त किया जावे तथा वाद को पुनः बहाल किया जाकर सुनवाई किये जाने के आदेश प्रदान करावे ।

5. जवाब बहस में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । वादी/अपीलांट ने स्व0 मोतीलाल व रामाबाई को बाद विरासत का नामांतकरण आज दिन तक दर्ज नहीं करवाया है । इसलिये वादी वादपत्र में वर्णित पारिवारिक सजरा मुताबिक जब तक स्व0 मोतीलाल के समस्त विधिक वारिसान को वाद मेमं पक्षकार या प्रफोर्मा रेस्पो0 नहीं बनाते तब तक आवश्यक पक्षकारों के अभाव में वादी/अपीलांट का वाद संधारण योग्य नहीं था । बहस में आगे कथन किया कि वादी/अपीलांट एवं उसके अन्य भाईयों व माता श्रीमती रामीबाई के मध्य स्व0 मोतीलाल की भूमि का वाहमी बंटवारा दिनांक 13.7.1996 को हो चुका था तथा उक्त बंटवारे के अनुसार ही विवादित भूमि खसरा नंबर 4087 श्रीमती सावित्री देवी पत्नि रामप्रसाद एवं

रामसिंह पुत्र मोतीलाल को आधी–आधी मिली थी तथा दोनों उक्तानुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। अपीालंट का लगभग 22 वर्षो से विवादित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है जिससे वादी का वाद धारा 188 कब्जे के अभाव में भी चलने योग्य नहीं था । अधी0न्याया0 ने संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया । वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष धारा 188 राज0काश्त0अधि0 1055 के तहत वाद पेश किया था । प्रतिवादी/रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 में उपस्थित होकर प्रारंभिक आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश कर वादी का वाद संधारण योग्य नहीं होंने से खारिज करने का निवेदन किया जिस पर अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 25.2.2019 द्वारा वादी का वाद इस आधार पर खारिज किया है कि वादी/अपीलांट ने वाद की मद संख्या 2 में जो सजरा अंकित किया है उसके मुताबिक वाद में आवश्यक पक्षकार संयोजित नहीं किये तथा विवादित भूमि का पूर्व में बंटवारा हो चुका है जिसके अनुसार पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर काबिज है । इसके विपरीत अपीलांट का कथन रहा है कि पक्षकारान के मध्य कभी भी बंटवारा नहीं हुआ है तथा न ही ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है । कानूनन कोई भी वाद आवश्यक पक्षकारों को संयोजित न करने के आधार पर जा0दी0 आदेश 1 नियम 8 के तहत खारिज नहीं किया जा सकता है । अधी0न्याया0 को स्वंय या पक्षकारों के आवेदन पत्र आवश्यक पक्षकारों को वाद में पक्षकार संयोजित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा नहीं किया है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने बिना ठोस साक्ष्य के राजस्व अभिलेख में दर्ज सहखातेदारी की भूमि का बंटवारा मानते हुए वाद खारिज किया है जो विधिक रूप से उचित नहीं माना जा सकता है । इस तथ्य का निर्धारण बाद साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई किया जाना चाहिये था । अधी0न्याया0 ने केवल मात्र तकनीकी आधार पर वाद को निर्णित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजममेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.2.2019 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विवादित आराजियात के समक्ष हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकारों को वाद में पक्षकार संयोजित कर, उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 23.7.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर